उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-5
संख्या-15/2021/305/12-5-2021-सा0-01/2021
लखनऊ:: दिनांक 08 मार्च, 2021

शुद्धि पत्र

शासनादेश सं0-06/2021/143/12-5-2021-सा01/2021, दिनांक 16 फरवरी 2021 के प्रस्तर-1 पर अंकित तालिका के क्रम सं0-2 कालम -6 में उल्लिखत रू. 58.05 लाख के स्थान पर रू. 58.00 लाख एवं कुल रू. 80.05 लाख के स्थान पर रू. 80.00 लाख पढा जाय।

2- शासनादेश दिनांक 16 फरवरी 2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 16 फरवरी 2021 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव

संख्या-15(1)/2021/305/12-5-2021-सा0-01/2021,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितिय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, द्वितीय/प्रथम (आडिट/सिविल) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा गस्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरप्रदेश प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहन भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
8- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकि निदेशालय, जवाहन भवन,उ0प्र0,लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।